

बीरबलराम बनाम लो.सू.अ. (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर)

सू.अ.अ. अपील संख्या 149/2020

29.09.20

अपीलार्थी बीरबलराम पुत्र चौखाराम खिलेरी, पता ग्राम सोनलपुरा राणेरी तहसील बाप जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 15.07.20 में उसके द्वारा (1) भू-प्रबन्ध विभाग जोधपुर की उज्रदारी पत्रावली संख्या 31/1958 अनवान चौखा पुत्र खाजू बनाम सुजिया जो भू-प्रबन्धक विभाग के पत्र क्रमांक 2548 दिनांक 17 फरवरी, 1964 के द्वारा आपके कार्यालय रिकॉर्ड में जमा कराने हेतु भेजी जो भूमि खसरा नम्बर 367 ग्राम राणेरी तहसील फलोदी जिला जोधपुर से संबंधित है, उसमें उजरदारी की नकल व अन्य बिन्दु, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पों.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लो.सू.अ..(अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 749 दिनांक 17.09.20 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें अवगत कराया कि अपर जिला कलक्टर (भू.रू.) जोधपुर एवं प्रभारी अधिकारी(भू.अ शाखा.)से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी बालकिशन खिलेरी को इस कार्यालय के पत्रांक 623 दिनांक 31.08.2020 द्वारा सूचित किया जा चुका है कि कार्यालय की भू-अभिलेख अनुभाग के रिकॉर्ड शाखा के सूचीबद्ध रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है।

चूंकि लोक सूचना अधिकारी द्वारा रिकॉर्ड नहीं होने बाबत अपीलार्थी/ प्रार्थी को सूचित किया जा चुका है अतः अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।

